भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *53
जिसका उत्तर बुधवार, 03 दिसम्बर, 2025 को दिया जाएगा

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी

***53. श्री विजय कुमार दूबे:**
श्री आलोक शर्मा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी से संबंधित प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए कार्यान्वित किए गए नए तंत्रों/प्रणालियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा दालों और खाद्य तेलों के बाजार मूल्य को स्थिर करने के लिए बफर स्टॉक स्तर सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;
(ग) क्या सरकार द्वारा दालों और गेहूं की जमाखोरी को रोकने के लिए स्टॉक सीमा संबंधी संशोधित आदेश जारी किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार कालाबाजारी और कीमतों में हेराफेरी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ किस प्रकार समन्वय कर रही है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क)से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"आवश्यक वस्तुओं की मूल्य निगरानी" के संबंध में दिनांक 03.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *53 के भाग (क) से (घ) उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): उपभोक्ता मामले विभाग देशभर के 575 मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों द्वारा भेजे गए 38 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दैनिक मूल्यों की निगरानी करता है। मूल्य निगरानी प्रणाली (पीएमएस) मोबाइल ऐप रिपोर्टिंग की सुविधा और मूल्य डेटा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। पीएमएस मोबाइल ऐप के माध्यम से रिपोर्ट किए गए डेटा को यह सुनिश्चित करने के लिए जियो-टैग किया जाता है कि रिपोर्टिंग बाजार स्थानों से हो और इसमें मानवीय त्रुटियों से बचने के लिए तीन संग्रह केंद्रों के औसत मूल्य की स्वचालित गणना और रिपोर्टिंग की इन-बिल्ट सुविधा है। ग्राफिकल विज़ुअलाइज़ेशन, हीट मैप, वस्तुओं और भौगोलिक क्षेत्रों के बीच तुलना आदि के माध्यम से मूल्य डेटा के विश्लेषण के लिए एक एनालिटिकल डैशबोर्ड विकसित किया गया है।

(ख) मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के अंतर्गत सरकार द्वारा अनुरक्षित दालों का गतिशील बफर स्टॉक, दालों के मूल्यों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने तथा उपभोक्ताओं को इन आवश्यक खाद्य वस्तुओं की किफायती दरों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घरेलू उत्पादन में उतार-चढ़ाव, मांग में मौसमी बदलाव और मार्केट प्लेयर्स की सट्टेबाज गतिविधियों के कारण अक्सर दालों की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है। बफ़र स्टॉक के माध्यम से किए गए बाज़ार हस्तक्षेप खुले बाज़ार में उपलब्धता बढ़ाती हैं और कीमतों को कम करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त, सरकार के पास दालों का बफ़र स्टॉक मार्केट प्लेयर्स द्वारा की जाने वाली गलत तरीके से जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाज़ी के विरुद्ध एक निवारक के रूप में कार्य करता है।

खाद्य तेलों के मामले में, सरकार खाद्य तेलों की कीमत को स्थिर रखने के लिए कोई बफर स्टॉक नहीं रखती है। खाद्य तेलों के बाज़ार मूल्य को स्थिर रखने के लिए बेसिक इम्पोर्ट ड्यूटी (बीसीडी) को समय-समय पर तर्क संगत किया जाता है। ड्यूटी को तर्कसंगत बनाने से आवश्यक सामानों की कीमत और उपलब्धता दोनों को प्रभावित करते हुए कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलती है। जब सरकार खाद्य तेल जैसी वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करती है, तो इन उत्पादों की लैंडेड कॉस्ट घट जाती है, जिससे थोक और खुदरा कीमतें भी कम हो जाती हैं। सस्ते आयात घरेलू कमी के समय बाज़ार में कुल आपूर्ति बढ़ाने में भी मदद करते हैं, जिससे कीमतों में तेज़ उछाल रुकता है और जमाखोरी या सट्टेबाज़ी जैसे व्यवहार हतोत्साहित होते हैं। आपूर्ति की बाधाओं को कम करके, शुल्क में कटौती महंगाई को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं को अचानक कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने का एक प्रभावी उपकरण के रूप में काम करती है। इसके विपरीत, जब घरेलू कीमतें बहुत तेजी से गिरती हैं और किसानों की आय प्रभावित होती है, तो सरकार सस्ते आयातों को कम करने के लिए शुल्क बढ़ा सकती है, जिससे कीमतों को निचले स्तर पर भी स्थिर किया जा सके। इस प्रकार, शुल्क का तर्कसंगत करना अधिक और कम दोनों कीमत स्थितियों को प्रबंधित करने में लचीलापन प्रदान करता है, जिससे बाज़ार का सुचारू संचालन और देश में लंबे समय तक मूल्य स्थिरता सुनिश्चित होती है।

(ग) और (घ): वर्तमान में दालों पर कोई स्टॉक सीमा लागू नहीं है। गेहूं के संबंध में, कुल खाद्य सुरक्षा को प्रबंधित करने और जमाखोरी तथा अनैतिक सट्टेबाज़ी को रोकने के लिए, सरकार ने 26 अगस्त, 2025 को आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी अधिनियम), 1955 के तहत संशोधित स्टॉक सीमा आदेश जारी किया, जो 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगा। आदेश के अनुसार, स्टॉक रखने की सीमा व्यापारी/थोक व्यापारी के लिए: 2000 मीट्रिक टन; रिटेलर के लिए: प्रत्येक रिटेल आउटलेट पर 8 मीट्रिक टन; बड़े चेन रिटेलर के लिए: प्रत्येक रिटेल आउटलेट पर 8 मीट्रिक टन तक, कुल अधिकतम मात्रा (8 × कुल आउटलेट्स की संख्या) और प्रोसेसर के लिए: मासिक स्थापित क्षमता का 60% × वित्तीय वर्ष 2025-26 के शेष महीनों की संख्या है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (पीबीएमएमएसईसी अधिनियम) सरकार को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को नियंत्रित करने का विधायी और प्रशासनिक आधार प्रदान करते हैं, ताकि उनकी आपूर्ति बनी रहे या बढ़े और उनका न्यायसंगत वितरण और उचित कीमतों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, और खाद्य सामग्री की जमाखोरी/चोर बाजारी को रोका जा सके। ईसी अधिनियम और पीबीएमएमएसईसी अधिनियम का क्रियान्वयन केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के बीच सहयोगात्मक प्रयास है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है कि वे इन नियमों को जमीन स्तर पर लागू और प्रवर्तन करें। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक है कि वे मासिक आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अधिनियमों के क्रियान्वयन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए जाते हैं कि वे व्यापारियों, डीलरों, आयातकों, मिलर्स, स्टॉकीस्ट और बड़े चेन रिटेलरों जैसी विभिन्न संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन स्टॉक डिस्क्लोज़र पोर्टल पर दालों के स्टॉक के खुलासे की निगरानी करें।

***